राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा स्वावलंबन पेंशन प्रदाय की गई

सरकार द्वारा जारी राष्टीय पेंशन योजना के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन देने की सुनहरी योजना

संपर्क

सम्पर्क करें

एनपीएस से बुढ़ापे में पेंशन के साथ पाएं करछूट का लाभ

कारोबार डेस्क

रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) एक अच्छा विकल्प है। यह एक लॉन्गटर्म की सेविंग स्कीम है। जनवरी 2004 में केंद्र सरकार ने केवल सरकारी कर्मचारियों (केंद्र व राज्य) के लिए एनपीएस की शुरुआत की थी। बाद में, 1 मई 2009 से इस स्कीम की सुविधा हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध करा दी गई। एनपीएस में व्यक्ति को दोहरा लाभ मिलता है। बुढ़ापे में पेंशन का लाभ लेने के साथ टैक्स बचाने के लिहाज से भी यह उपयुक्त स्कीम है।

एनपीएस को लोकप्रिय बनाने और इसमें निवेश बढ़ाने के लिए आम बजट 2010-11 में तत्कालीन वित्तमंत्री ने 'स्वावलंबन स्कीम' की शुरुआत की। इसके तहत, वित्तीय वर्ष 2010-11 में खोले जा रहे असंगठित क्षेत्र के न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) खातों में सरकार की ओर से भी 3 वर्षों तक 1,000 रुपये का अंशदान करने की घोषणा की गई। न्यू पेंशन स्कीम में 18 से 60 साल का कोई भी भारतीय निवेश कर सकता है। इसमें हर माह कम से कम 500 रुपये 60 साल की उम्र तक जमा करना होगा। जमा राशि में से 60 फीसदी भुगतान 60 साल की उम्र में मिलेगा, जबकि शेष 40 फीसदी राशि से हर माह पेंशन मिलेगी। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) एनपीएस का नियमन करता है। पीएफआरडीए ही एनपीएस के तहत किए जाने वाले निवेश और इसके संचालन से संबंधित नियमों व मानकों का निर्धारण करता है। एनपीएस की एक अच्छी खासियत यह है कि इसमें निवेशक को एसेट क्लास चुनने का विकल्प मिलता है। एनपीएस में लगा पैसा विभिन्न एसेट क्लास ई, सी और जी में निवेश किया जाता है।

एनपीएस में फंड मैनेजमेंट के लिए सरकार द्वारा प्रोफेशनल फंड हाउसेस नियुक्त किए गए हैं। इस स्कीम में निवेशकों पर खर्चों का भार अन्य पेंशन स्कीमों के मुकाबले लगभग नगण्य होता है।

टैक्स बचाने में कारगर एनपीएस

एनपीएस में निवेश के जरिए टैक्स की भी बचत की जा सकती है। आयकर कानून की धारा 80 सीसीडी के तहत वेतनभोगी कर्मचारी सालाना वेतन (बेसिक एवं डीए) का अधिकतम 10 फीसदी और सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रॉस टोटल इनकम का अधिकतम 10 फीसदी एनपीएस में निवेश कर टैक्स में छूट हासिल कर सकता है। यह जान लें कि धारा 80सी, 80 सीसीसी एवं 80 सीसीडी के तहत अधिकतम छूट 1 लाख रुपये तक ही ली जा सकती है।

दो तरह के अकाउंट होते हैं एनपीएस में

न्यू पेंशन स्कीम के तहत दो तरह के अकाउंट टीयर-1 और टीयर- 2 खोले जा सकते हैं। टीयर- 1 अकाउंट एक तरह से रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट है। इसमें एक समय में न्यूनतम 500 रुपये और एक साल में न्यूनतम 6,000 रुपये का अंशदान करना जरूरी है। एक साल में एक अंशदान होना चाहिए। इस स्कीम में अधिकतम निवेश की सीमा नहीं है। इसकी निकासी परिपक्वता पर ही की जा सकती है। जबकि, टीयर- 2 अकाउंट का इस्तेमाल सेविंग अकाउंट की तरह किया जा सकता है। इस अकाउंट को न्यूनतम 1,000 रुपये से खोला जा सकता है। एक समय में न्यूनतम 250 रुपये व साल के अंत में खाते का न्यूनतम बैलेंस 2,000 रुपये होना आवश्यक है। इसमें आप टॉप अप योगदान कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार कभी भी निकासी कर सकते हैं। टीयर- 2 खाता खोलने के लिए टीयर -1 खाता होना आवश्यक है।

पेंशन फण्ड रेग्यूलेट्री एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पेंशन हेतु

भारत सरकार द्वारा संचालित

pfrda

स्वावलम्बन योजना (एनपीएस)

Mission Secure and Comfy Life

Administered By : Ayushmanbhav Education PVT.LTD.

MSCL

304, Jay Sagar Complex, Nr.,Subjail,Ring Road,Surat.

URL- missionscl.com
email-Enquiry@missionscl.com

Mo.+91 8000921592
+91 8460050124

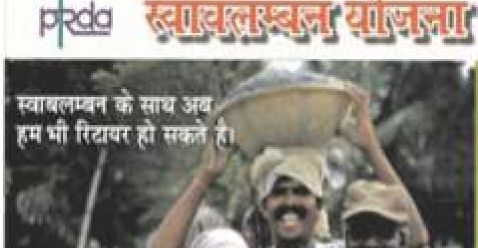

स्वावलम्बन में 100 रुपये जमा करो और साठ की उम्र के बाद करो ठाठ!

- साठ के बाद करोगे ठाठ, सच्ची है बात, भई पक्की है बात,
- बूंद–बूंद कर भर लो सागर,
  सौ रुपये से ही हो शुरूआत, सच्ची है बात,
  भई पक्की है बात, लाख रुपये की बात हमारी
- बुढ़ापा लाएगा खुशियाँ सारी,
  तो आज ही से करो शुरूआत, तभी तो करोगे साठ के बाद ठाठ

pfrda

भारत सरकार की सौगात, आपकी पेंशन आपके हाथ।

NPS Lite
Aapki Pension Aapke Haath

ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी के रूप में आप तक पहुंचाता है।

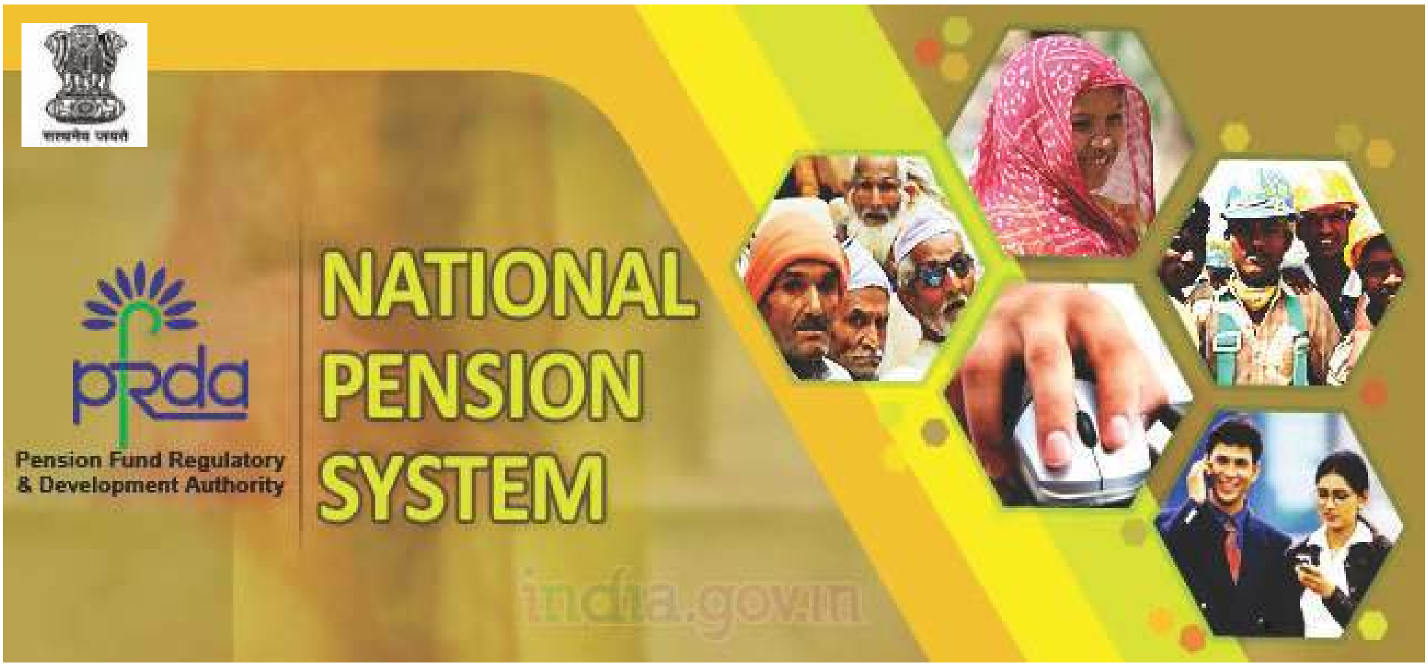
सत्यमेव जयते
pfrda
Pension Fund Regulatory & Development Authority
NATIONAL PENSION SYSTEM
india.gov.in

पेंशन फण्ड रेग्यूलेट्री एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पेंशन हेतु
भारत सरकार द्वारा संचालित
pfrda
स्वावलम्बन योजना (एनपीएस)
सत्यमेव जयते
• साठ के बाद करोगे ठाठ,
सच्ची है बात, भई पक्की है बात,
• बूंद–बूंद कर भर लो सागर,
सौ रुपये से ही हो शुरुआत, सच्ची है बात,
भई पक्की है बात,
• लाख रुपये की बात हमारी,
बुढापा लाएगा खुशियाँ सारी,
तो आज ही से करो शुरुआत
साठ के बाद करोगे ठाठ
एनपीएस पेंशन नहीं
प्राण है यह
स्वावलम्बन में १०० रुपये जमा करो और साठ की उम्र के बाद करो ठांठ।
भारत सरकार की सौगात, आपकी पेंशन आपके हाथ।
NPS Lite
ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और उन्हीं पैसों को
हर महीने सैलरी के रूप में आप तक पहुंचाता है।
संपर्क

भारत सरकार की पेंशन योजना
PFRDA
अब हम 'स्वावलम्बन' के साथ सेवा निवृत्त भी हो सकते हैं
अंसंगठित क्षेत्र के किसानों, मजदूरों व अन्य स्वरोगारी नागरिकों के लिए भारत सरकार की पेंशन स्कीम
न्यू पेंशन स्कीम
एनपीएस खाता खोले व अपनी सुविधा अनुसार आसान किस्तों में जमा करें।
प्रति वर्ष रूपये 1000 से रूपये 12000 जमा करे।
स्वावलम्बन / एनपीएस के अंतर्गत भारत सरकार से प्रति वर्ष रूपये 1000 ग्रांट प्राप्त करें।
भारत का प्रत्येक नागरिक 18 वर्ष से 55 वर्ष का एनपीसए खाता खोल सकता है।
अपना एनपीएस खाता खोलने के लिए एग्रीगेटर से संपर्क करें।
आपकी पेंशन
आपके हाथ..
स्वावलम्बन
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

पेंशन फण्ड रेग्यूलेट्री एण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा पेंशन हेतु
भारत सरकार द्वारा संचालित
स्वावलम्बन योजना (एनपीएस)
गरीब, कामगार, किसान, या स्वरोजगारी
अब आयी सबकी पेंशन पाने की बारी।
NPS Lite
Aapki Pension Aapke Haath
में ₹1000 से खाता खुलवायें और सरकार द्वारा
अनुदान के रुप में ₹ 1000 पायें।
एनपीएस पेंशन नहीं
प्राण है यह
।। यह सूचना जनहित में जारी ।।

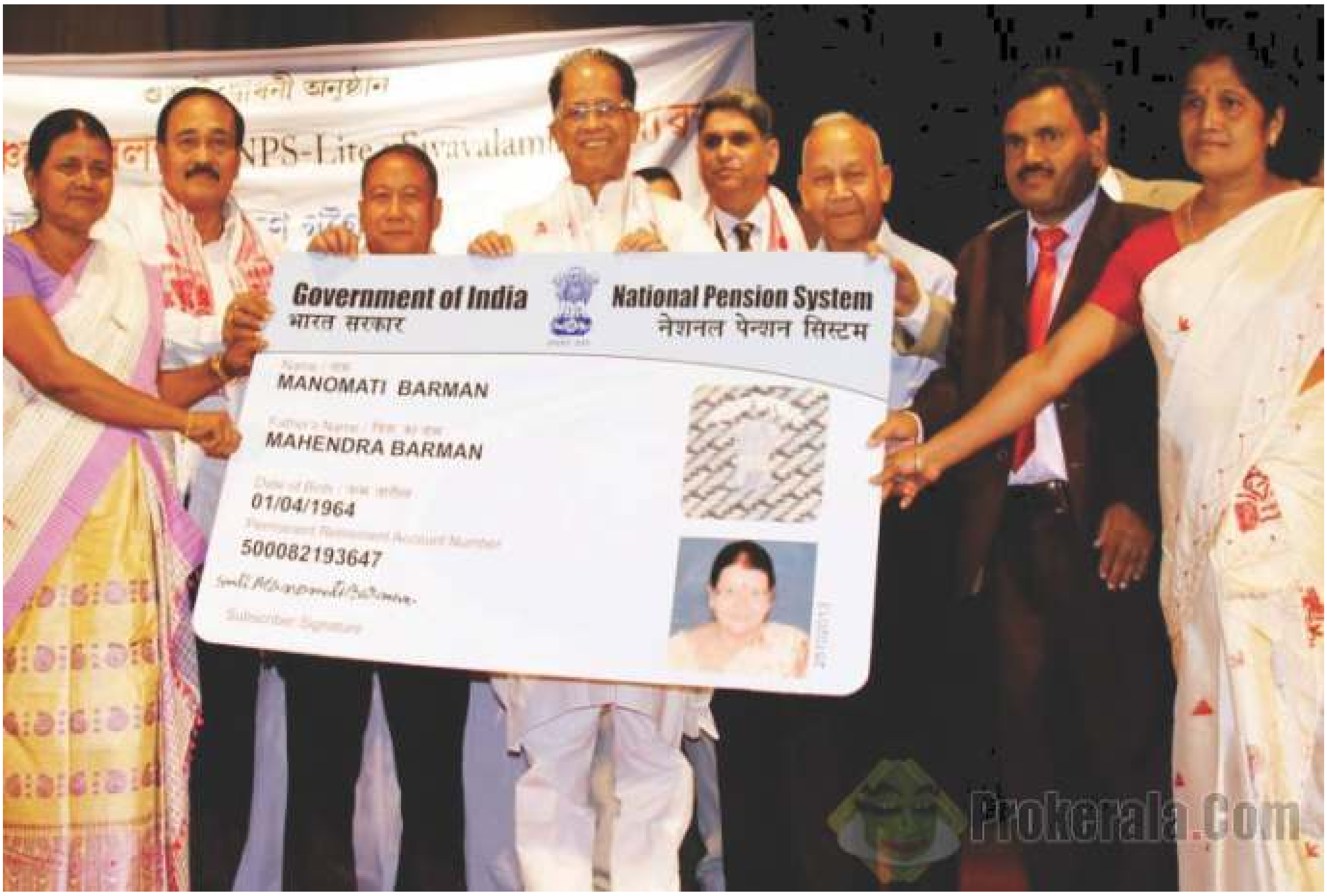

रिटायर होना हर इन्सान का हक हैं।

स्वावलम्बन के साथ अब
हम भी रिटायर हो सकते हैं।

संपर्क

स्वावलम्बन

भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन देने की सुनहरी योजना

माननीय वित्तमंत्री ने 2010 के बजट में एक नई योजना ''स्वावलम्बन'' की घोषणा की है। स्वावलम्बन भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिको के लिए जारी की गयी पेंशन योजना है, जिसका नियंत्रण पेंशन फंड रेग्युलेटरी एवं डेवलपमेंट अॅथारिटी द्वारा किया जायेगा।

1. योजना के प्रमुख बिन्दु–

- यह एक स्वैच्छिक योजना है।
- यह योजना अत्यन्त सरल है।
- इसमें सभी के द्वारा एक समान राशि का निवेश किया जा सकता है।
- इस योजना का खाता देशभर में कही से भी चलाया जा सकता है।
- यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एवं डेवपमेंट अॅथारिटी द्वारा नियंत्रित की जायेगी अतः सुरक्षित है।
- यह योजना प्रतिमाह मात्र रू. 100/– के निवेश से भी चलाई जा सकती है अतः सभी के लिए सुलभ है।
- इस खाते से बीच में निकासी नही की जा सकती है।
- सभी खाताधारको को स्थाई रिटायरमेंट खाता संख्या का प्रमाण पत्र (PRAN CARD) प्रदान किया जायेगा।

2. उद्देश्य–

- असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु से प्रारम्भ होकर मृत्यु तक पेंशन का प्रावधान करना।

3. पात्रता–

- असंगठित क्षेत्र के 18 से 55 वर्ष के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
- अहर्य नागरिक कर्मचारी भविष्यनिधि एवं विधि प्रावधान एक्ट 1952 अथवा रिटायरमेंट के पश्चात पेंशन प्रदान करने वाली किसी योजना का सदस्य नही होना चाहिए।
- अहर्य नागरिक संगठित क्षेत्र का कामगार न हो।

4. आवेदन कैसे करे–

- निर्धारित रजिस्ट्रेशन फार्म को भरकर हस्ताक्षरित करना।
- रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो पहचान–पत्र आवास एवं आयु का प्रमाण–पत्र।

5. अंशदान की राशि–

- न्यूनतम अंशदान प्रतिमाह रू. 100/– न्यूनतम अंशदान प्रतिवर्ष रू. 1000/–
- अधिकतम अंशदान प्रतिवर्ष रू. 12000/– प्रतिवर्ष अधिकतम 12 अंशदान स्वीकार किये जायेंगे।

6. सरकार द्वारा अंशदान–

- वित्तीय वर्ष के दौरान खोले गये खातों में प्रतिवर्ष रू. 1000/– का अंशदान।
- यह अंशदान उन्हीं खातों के लिए उपलब्ध होगा जिसमें न्यूनतम प्रतिवर्ष 1000/– तथा अधिकतम रू. 12000/– होगी

7. पेंशन निधि–

- यह जमाकर्ता के द्वारा जमा की गई राशि तथा सरकार द्वारा दिये गये अनुदान तथा इन दोनों पर मिलने वाली सालाना ब्याज की राशि के सम्पूर्ण योग के बाद कुल निधि के मूल्य पर आधारित होगी।

8. पेंशन लाभ निर्भर करेगा–

- व्यक्ति के 60 वर्ष की आयु पर निधि के आकार पर
- तत्समय ब्याज की दर पर।
- अगर निधि न्यूनतम पेंशन राशि देने के लिए अपर्याप्त हो तो निधि की सम्पूर्ण राशि जमाकर्ता को लौटा दी जायेगी।
- अगर किसी व्यक्ति की पात्रता में परिवर्तन होता है जैसे कि वह संगठित क्षेत्र का सदस्य बन जाता है तब परिवर्तन तिथि से उसका खाता संगठित क्षेत्र के नियमानुसार चलेगा।

9. योजना का लाभ–

- जमाकर्ता द्वारा 50 वर्ष की आयु पर 60 प्रतिशत तथा 60 वर्ष की आयु पर 80 प्रतिशत राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है। शेष राशि पेंशन निधि के रूप में परिवर्तित कर दी जायेगी। किन्तु यह ध्यान रखा जायेगा कि शेष पेंशन निधि न्यूनतम मासिक पेंशन की राशि रू. 1000/– देने के लिए अपर्याप्त न हों।
- उपरोक्त पेंशन योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी को उसकी पेंशन निधि की राशि के अनुसार पेंशन देना
- प्रारम्भ कर दिया जायेगा जो कि न्यूनतम रू. 1000/– मासिक से लेकर अधिकतम पेंशन निधि पर समयानुसार लागू
- ब्याज की दर पर आधारित होगी।
- अगर शेष निधि न्यूनतम पेंशन राशि देने के लिए अपर्याप्त हो तो निधि को सम्पूर्ण राशि जमाकर्ता को लौटा दी जायेगी।
- जमाकर्ता की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को सम्पूर्ण धनराशि के तुरंत निकासी का अधिकार होगा तथा इसका कोई भी भाग पेंशन में परिवर्तित नहीं किया जायेगा। उत्तराधिकारियों को खाते को आगे चलाने का विकल्प भी रहेगा

10. प्रतिशत वृद्धि दर–

- यह प्रतिदिन घोषित की जायेगी।
- स्वावलम्बन के अन्तर्गत जमाराशि को लाभार्थी द्वारा चुने गये पेंशन निधि प्रबंधकों के अनुसार निवेशित किया जायेगा तथा इस पर प्राप्त होने वाले प्रतिलाभ तत्समय लागू ब्याज की दर तथा उन पेंशन निधि प्रबंधकों पर निर्भर करेंगे।

11. शिकायत का निवारण–

- इस हेतु केन्द्रीय शिकायत प्रबंधक तंत्र (CGMS) होगा जिसके अन्तर्गत कोई भी जमाकर्ता इसमें शिकायत दर्ज करा सकता है। अथवा अपनी लिखित शिकायत PFRDA अथवा PFRDA (NSDL) को भेज सकता है। इस शिकायत पर PFRDA एवं CRA द्वारा निगरानी रखी जायेगी।

- इस योजना हेतु कॉल सेन्टर स्थापित है जिसमें 24 घन्टे निःशुल्क टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। इसका नं. 1800222080 है। इस फोन पर कोई भी जमाकर्ता कम्प्यूटर पर अपना खाता देख सकता है एवं अपने अंशदान की राशि की पुष्टि कर सकता है।

भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पेंशन कार्ड बनाने के लिए संपर्क करें।

दैनिक जागरण

12 दैनिक जागरण

अर्थ जागरण

Updated on:Sun, 26 Aug 2012 09:11 PM (IST)

स्वावलंबन को हिट कराने को बैंकों पर बढ़ाया दबाव

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। नई पेंशन स्कीम [एनपीएस] को लोकप्रिय बनाने के लिए हर जतन कर चुकी केंद्र सरकार अब सरकारी बैंकों को मैदान में उतारने जा रही है। सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दे दिया गया है कि वे अपनी हर शाखा के जरिये एनपीएस की स्वावलंबन स्कीम के तहत खाते खोलने का काम तेज करें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंक शाखाओं को 150 स्वावलंबन खाते और शहरी शाखाओं को 70 स्वावलंबन खाते खोलने का लक्ष्य दिया गया है।

वैसे, बैंकों को सरकार का यह निर्देश खास पसंद नहीं आ रहा है। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ बैठक में सरकारी बैंकों की तरफ से इस बारे में आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। बैंकों का कहना है कि एनपीएस खाताधारकों को अलग से आकर्षित करने के लिए उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। बहरहाल, वित्त मंत्रालय ने इन शिकायतों को दरकिनार कर बैंकों से कहा है कि वे ज्यादा से ज्यादा एनपीएस खाते खुलवाने के लक्ष्य को गंभीरता से लें।

सितंबर, 2010 में एनपीएस के तहत स्वावलंबन स्कीम की शुरुआत हुई थी। यह स्कीम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है। इसमें प्रति वर्ष एक हजार से 12 हजार रुपये जमा करवाने वाले मजदूर के खाते में सरकार की तरफ से एक हजार रुपये का योगदान दिया जाता है। इसके बावजूद इस स्कीम की लोकप्रियता घटती जा रही है। वर्ष 2010-11 में देश में 3.01 लाख स्वावलंबन खाते खोले गए थे। मार्च, 2012 तक इन खाताधारकों की संख्या बढ़कर 6.43 लाख हो गई। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीने में सिर्फ 59 हजार नए स्वावलंबन खाते खोले गए हैं। सरकारी बैंकों की लगभग 55 हजार शाखाएं हैं। अगर ये सभी शाखाएं स्वावलंबन खाते खोलने का लक्ष्य तय कर लेती हैं तो हर वर्ष 10 लाख से ज्यादा ग्राहक बनाए जा सकेंगे। साफ है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान इसका आकर्षण घटा है। यही वजह है कि अब सरकारी बैंकों को इस काम में जोर शोर से लगाने का फैसला किया गया है।

CALCULATION OF DEPOSIT

Sr. No.	Age of	Deposit (ANNUAL)	Anudan	Rate of % (ANNUAL)	Amount of % (ANNUAL)	Total Amount	Pension Amount (APPROXIMATE)
1	18	1000	1000	12%	240	2240	
2	19	3240	1000	12%	508.8	4748.8	
3	20	5748.8	1000	12%	809.85	7558.65	
4	21	8558.65	1000	12%	1147.03	10705.69	
5	22	11705.69	1000	12%	1524.68	14230.37	
6	23	15230.37	1000	12%	1947.64	18178.02	
7	24	19178.02	1000	12%	2421.36	22599.38	
8	25	23599.38	1000	12%	2951.92	27551.31	
9	26	28551.31	1000	12%	3546.15	33097.47	
10	27	34097.47	1000	12%	4211.69	39309.16	
11	28	40309.16	1000	12%	4957.09	46266.26	
12	29	47266.26	1000	12%	5791.95	54058.21	
13	30	55058.21	1000	12%	6726.98	62785.20	
14	31	63785.20	1000	12%	7774.22	72559.42	
15	32	73559.42	1000	12%	8947.13	83506.56	
16	33	84506.56	1000	12%	10260.78	95767.34	
17	34	96767.34	1000	12%	11732.08	109499.42	
18	35	110499.42	1000	12%	13379.93	124879.36	
19	36	125879.36	1000	12%	15225.52	142104.88	
20	37	143104.88	1000	12%	17292.58	161397.47	1083.20
21	38	162397.47	1000	12%	19607.69	183005.16	1228.22
22	39	184005.16	1000	12%	22200.62	207205.78	1390.64
23	40	208205.78	1000	12%	25104.69	234310.48	1572.55
24	41	235310.48	1000	12%	28357.25	264667.74	1776.29
25	42	265667.74	1000	12%	32000.12	298667.86	2004.48
26	43	299667.86	1000	12%	36080.14	336748.01	2260.05
27	44	337748.01	1000	12%	40649.76	379397.77	2546.29
28	45	380397.77	1000	12%	45767.73	427165.50	2866.88
29	46	428165.50	1000	12%	51499.86	480665.36	3225.94
30	47	481665.36	1000	12%	57919.84	540585.21	3628.08
31	48	541585.21	1000	12%	65110.22	607695.43	4078.49
32	49	608695.43	1000	12%	73163.45	682858.89	4582.94
33	50	683858.89	1000	12%	82183.06	767041.95	5147.93
34	51	768041.95	1000	12%	92285.03	861326.99	5780.71
35	52	862326.99	1000	12%	103599.23	966926.23	6489.41
36	53	967926.23	1000	12%	116271.14	1085197.38	7283.26
37	54	1086197.38	1000	12%	130463.68	1217661.06	8172.26
38	55	1218661.06	1000	12%	146359.32	1366020.39	9167.92
39	56	1367020.39	1000	12%	164162.44	1532182.84	10283.10
40	57	1533182.84	1000	12%	184101.94	1718284.78	11532.11
41	58	1719284.78	1000	12%	206434.17	1926718.95	12930.99
42	59	1927718.95	1000	12%	231446.27	2160165.23	14497.75
43	60	2161165.23	1000	12%	259459.82	2421625.05	16252.51

Pension Amount (APPROXIMATE) Rs.16252/- Per Month

CALCULATION OF DEPOSIT

Sr. No.	Age of	Deposit (ANNUAL)	Anudan	Rate of % (ANNUAL)	Amount of % (ANNUAL)	Total Amount	Pension Amount (APPROXIMATE)
1	18	12000	1000	12%	1560	14560	
2	19	26560	1000	12%	3307.2	30867.2	
3	20	42867.2	1000	12%	5264.06	49131.26	
4	21	61131.26	1000	12%	7455.75	69587.01	
5	22	81587.01	1000	12%	9910.44	92497.45	
6	23	104497.45	1000	12%	12659.69	118157.15	
7	24	130157.15	1000	12%	15738.85	146896.01	
8	25	158896.01	1000	12%	19187.52	179083.53	
9	26	191083.53	1000	12%	23050.02	215133.55	
10	27	227133.55	1000	12%	27376.02	255509.58	
11	28	267509.58	1000	12%	32221.14	300730.73	
12	29	312730.73	1000	12%	37647.68	351378.42	
13	30	363378.42	1000	12%	43725.41	408103.83	
14	31	420103.83	1000	12%	50532.45	471636.29	
15	32	483636.29	1000	12%	58156.35	542792.64	
16	33	554792.64	1000	12%	66695.11	622487.76	
17	34	634487.76	1000	12%	76258.53	711746.29	
18	35	723746.29	1000	12%	86969.55	811715.84	
19	36	823715.84	1000	12%	98965.90	923681.75	
20	37	935681.75	1000	12%	112401.81	1049083.56	7040.82
21	38	1061083.5	1000	12%	127450.02	1189533.58	7983.44
22	39	1201533.5	1000	12%	144304.03	1346837.62	9039.17
23	40	1358837.6	1000	12%	163180.51	1523018.13	10221.59
24	41	1535018.1	1000	12%	184322.17	1720340.31	11545.90
25	42	1732340.3	1000	12%	208000.83	1941341.14	13029.13
26	43	1953341.1	1000	12%	234520.93	2188862.08	14690.34
27	44	2200862.08	1000	12%	264223.45	2466085.53	16550.90
28	45	2478085.53	1000	12%	297490.26	2776575.80	18634.73
29	46	2788575.80	1000	12%	334749.09	3124324.89	20968.62
30	47	3136324.89	1000	12%	376478.98	3513803.88	23582.57
31	48	3525803.88	1000	12%	423216.46	3950020.35	26510.20
32	49	3962020.35	1000	12%	475562.44	4438582.79	29789.14
33	50	4450582.79	1000	12%	534189.93	4985772.72	33461.56
34	51	4997772.72	1000	12%	599852.72	5598625.45	37574.66
35	52	5610625.45	1000	12%	673395.05	6285020.50	42181.34
36	53	6297020.50	1000	12%	755762.46	7053782.97	47340.82
37	54	7065782.97	1000	12%	848013.95	7914796.92	53119.44
38	55	7926796.92	1000	12%	951335.63	8879132.55	59591.49
39	56	8891132.55	1000	12%	1067055.90	9959188.46	66840.19
40	57	9971188.46	1000	12%	1196662.61	11168851.08	74958.73
41	58	11180851.08	1000	12%	1341822.12	12523673.20	84051.49
42	59	12535673.20	1000	12%	1504400.78	14041073.99	94235.39
43	60	14053073.99	1000	12%	1686488.87	15740562.87	105641.36

Pension Amount (APPROXIMATE) Rs.105641/- Per Month

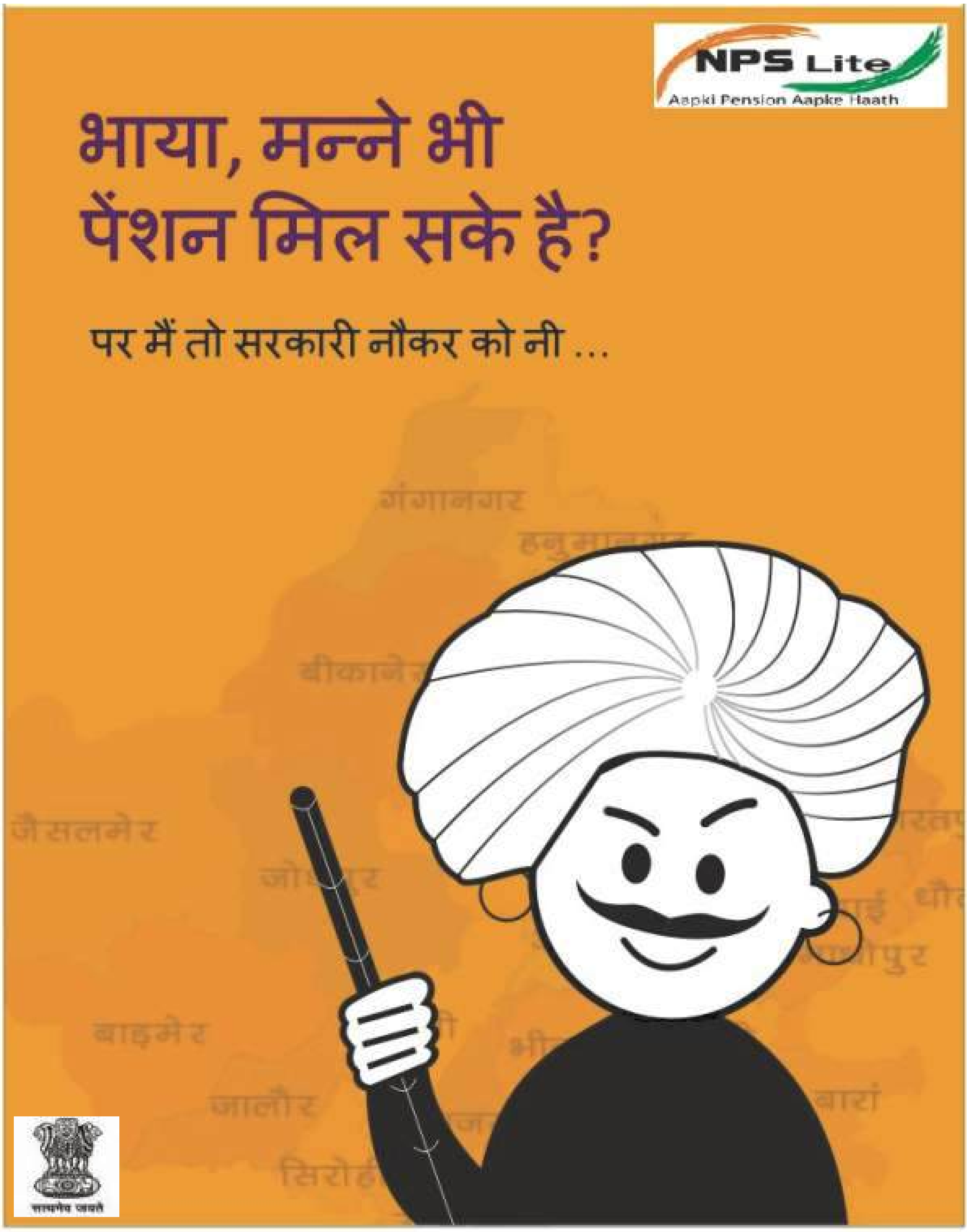

A4 (Front)

स्वावलम्बन की विशेषताएं

NPS क्या है?

NPS भारत सरकार और PFRDA की पहल है। आरंभ में, NPS केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही थी, और फिर बाद में इसे भारत के सभी नागरिकों के लिए लागू किया गया। NPS/स्वावलम्बन योजना का आरंभ, सीमांत आय प्राप्त करने वालों और समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में आय का आश्वासन प्रदान करने के लिए किया गया है।

- भारत सरकार की वृद्धावस्था में पेंशन उपलब्ध कराने की योजना
- 18 से 55 वर्ष के प्रत्येक नागरिक एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
- सुविधा के अनुसार प्रतिवर्ष ₹ 1,000 से ₹12,000 तक जमा करें।
- भारत सरकार से 1,000 प्रति वर्ष अनुदान पायें।

स्वावलम्बन | nps

रिटायर होना हर इन्सान का हक है।

स्वावलम्बन के साथ अब हम भी रिटायर हो सकते हैं।

स्वावलम्बन में हर महीने सिर्फ़ 100 रुपए निवेश करके आप भी साठ के बाद आराम से जी सकते हैं। आज ही अपना प्रान कार्ड बनवायें।

स्वावलम्बन की विशेषताएं

- भारत सरकार की वृद्धावस्था में पेंशन उपलब्ध कराने की योजना।
- 18 से **55** वर्ष के प्रत्येक नागरिक एनपीएस खाता खोल सकते हैं।
- सुविधा के अनुसार प्रति वर्ष रु.1,000 से रु. 12,000 तक जमा करें।
- भारत सरकार से रु.1,000 प्रति वर्ष अनुदान पाएं।

आज ही अपना
NPS खाता खुलवायें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

संपर्क

प्रस्ताव दस्तावेज और योजना विवरण सदस्यता लेने से पहले ध्यान से पढ़ें।

SWAVALAMBAN POSTER - HINDI